उत्तर प्रदेश सरकार
भाषा अनुभाग-1
संख्या: 135 /21-1-90-5(3)/94
लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 1990

अधिसूचना

.....

पंजाबी भाषा और उसके साहित्य का परिरक्षण, प्रोत्साहन और विकास करने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित आदेश देते हैं :-

1- पंजाबी अकादमी के अध्यक्ष मा० मुख्य मंत्री तथा राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री राज्यपाल होंगे।

2- पंजाबी अकादमी का कार्यकारी अध्यक्ष जिन्हें पंजाबी भाषा के विकास में रुचि रखने वाला व्यक्ति होगा जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और जो शासन द्वारा नामित किया जायेगा परन्तु कार्यकाल शासन द्वारा पहले भी समाप्त किया जा सकता है। डा० (श्रीमती) गुरूशरन कौर 84/ए/2 "पुष्प" निगर डी०एल० हास्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद कार्यकारी अध्यक्ष होंगी।

3- [illegible], उत्तर प्रदेश शासन पंजाबी अकादमी के निदेशक होंगे।

4- पंजाबी भाषा के विकास में रुचि रखने वाला व्यक्ति अकादमी का सचिव होगा जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और यह शासन द्वारा नामित किया जायेगा परन्तु कार्यकाल शासन द्वारा पहले भी समाप्त किया जा सकता है। पंजाबी अकादमी के सचिव, श्री अशोक कुमार ओबराय, ए-53 निगर कालोनी, मुरादाबाद को प्रथम सचिव नामित किया जाता है।

5- पंजाबी अकादमी का संगम ज्ञापन एवं नियमावली शासन के अनुमोदनोपरान्त सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत करायी जायेगी।

(जगन्नाथ सिंह)
विशेष सचिव

संख्या: 135 (1)/21-1-90-5(3)/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ० प्र० राजकीय गजट में प्रकाश हेतु।

आज्ञा से,

(जगन्नाथ सिंह)
विशेष सचिव

सं0 135 (2)/21-1-90-5(3)/94, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री
2- निजी सचिव, मा० भाषा मंत्री
3- प्रमुख सचिव, भाषा विभाग
4- विशेष सचिव, भाषा विभाग
5- माननीय सदस्यगण
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
7- परीक्षक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ० प्र० इलाहाबाद
8- सहायक निदेशक एवं सोसायटीज रजिस्ट्रेशन, उ० प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,

(जगन्नाथ सिंह)
विशेष सचिव